

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 (कानपुर-प्रयागराज मार्ग)(Old NH-2) के किमी. स्टोन संख्या 538 (चैनेज - 537.955) दांयी पटरी ग्राम-बरौरा, तहसील-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर की गाटा संख्या 1880 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.1106 हे० स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खागा रेंज के अन्तर्गत बुधवन-बरकतपुर-अल्लीपुर-भादर मार्ग के किमी० 11.00 से 12.00 के मध्य बांयी पटरी में वन भूमि का चयन किया गया है। जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है। वन भूमि सभी व्यवधानों एवं अतिक्रमण से मुक्त है।

(रामानुज त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी एवं वन्यजीव प्रभाग

फतेहपुर